राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026
Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 11, 2025

संख्या प.9(41)राज-1/2024-21432:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, डूंगरपुर से प्राप्त प्रस्तावध् अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **डूंगरपुर जिले की तहसील आसपुर, बिछीवाड़ा एवं दोवड़ा** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या--8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			प्रस्तावित ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011 अनुसार	ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011 अनुसार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डूंगरपुर / आसपुर	आसपुर / आसपुर	लोकिया बनकोडा LG Code 97790	636.6114	1513	नया टापरा Naya Tapra	117.3933	339	2	519.2181

2		इन्दौडा / आसपुर	इन्दौडा LG Code 97759	918.1132	2498	कलासुआ का कुंआ Kalasua ka Kunwa	180.9944	837	4	737.1188
3			धताणा LG Code 97760	903.9046	2377	ऊंची डूंगरी Unchi Dungari	167.6772	655	1.5	736.2274
4	डूंगरपुर / बिछीवाड़ा	बरोठी / बिछीवाड़ा	बरोठी LG Code 97474	724.51	3501	बरोठी निचली Barothi Nichali	257.87	1453	1	436.64
5		धामोद / बिछीवाड़ा	धामोद LG Code 97534	546.84	3863	गोंगाफला Gongafala	210.24	1656	1	336.60
6	डूंगरपुर / दोवड़ा	पालवसी / दोवड़ा	पालवसी LG Code 97581	858.77	3127	घाटा वसी Ghata Vassi	237.07	1399	3	621.70

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, डूंगरपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।